



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30062022-236914
CG-DL-E-30062022-236914

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 333]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 30, 2022/आषाढ़ 9, 1944

No. 333]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 30, 2022/ASHADHA 9, 1944

वास्तुकला परिषद्

(वास्तुविद् अधिनियम, 1972 के तहत गठित सांविधिक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 2022

फा. सं. सीए/431/2022/म.स.अ.ए(विनियम)।—वास्तुविद् अधिनियम, 1972 (1972 का 20 वां) की धारा 21 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 45 की उपधारा (2) के खंड (ई), (जी), (एच), और (जे) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से वास्तुकला परिषद् एतद् द्वारा वास्तुकला परिषद् (वास्तुकला शिक्षा के न्यूनतम मानक) विनियम, 2020 जो भारत के राजपत्र के भाग III खण्ड 4 में दिनांक 11 अगस्त, 2020 को प्रकाशित हुए हैं में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :-

- (1) इन विनियमों का नाम वास्तुकला परिषद् (वास्तुकला शिक्षा के न्यूनतम मानक) (संशोधन) विनियम, 2022 होगा।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे तथा केवल अकादमिक सत्र 2022-2023, के लिए एकमुश्त उपाय के रूप में लागू होंगे, जिसके उपरान्त मूल विनियम जो कि 11 अगस्त, 2020 को प्रकाशित हुए हैं लागू हो जायेंगे।
- वास्तुकला परिषद् (वास्तुकला शिक्षा के न्यूनतम मानक) विनियम, 2020 के विनियम 4 के उपविनियम (1) तथा उपविनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपविनियम रखे जाएंगे :-
 - कोई भी अभ्यर्थी जिसने 10+2 परीक्षा प्रणाली में भौतिकी, रसायन शास्त्र तथा गणित विषयों के साथ उत्तीर्ण न की हो अथवा 10+3 डिप्लोमा परीक्षा गणित अनिवार्य विषय के साथ उत्तीर्ण न की हो, को वास्तुकला स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

- (2) अभ्यर्थी को वास्तुकला में अभिक्षमता परीक्षा जो कि या तो वास्तुकला परिषद् द्वारा संचालित "नाटा" या एनटीए द्वारा संचालित "जेईई", उत्तीर्ण करना आवश्यक है।

पाद टिप्पणी : मूल विनियम दिनांक 11 अगस्त, 2020 को राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा दिनांक 23 मार्च 2021 को संशोधित हुए थे।

राज कुमार ओबराय, रजिस्ट्रार
[विज्ञापन-III/4/असा./153/2022-23]

COUNCIL OF ARCHITECTURE

(STATUTORY AUTHORITY CONSTITUTED UNDER THE ARCHITECTS ACT, 1972)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th June, 2022

F. No. CA/431/2022/MSAE(Regulations).—In exercise of powers conferred by clauses (e), (g), (h) and (j) of sub-section (2) of Section 45 read with Section 21 of the Architects Act, 1972 (20 of 1972), the Council of Architecture, with the approval of the Central Government, hereby makes the following Regulations to further amend the Council of Architecture (Minimum Standards of Architectural Education) Regulations 2020, the same having been published in the Gazette of India, Part-III-Section-4 dated the 11th August, 2020, namely: -

- (1) These Regulations may be called the Council of Architecture (Minimum Standards of Architectural Education) (Amendment) Regulations, 2022.
- (2) They shall come into force from the date of this publication in the official Gazette and shall be applicable for the academic session 2022-2023 only as a one-time measure and thereafter the original Regulations as notified in the Gazette on 11.08.2020 shall be in force.
2. In the Council of Architecture (Minimum Standards of Architectural Education) Regulations, 2020, in Regulation 4 for sub-regulation (1) and sub-regulation (2), the following sub-regulations shall be substituted, namely: -
 - “(1) No candidate shall be admitted to architecture course unless she/he has passed an examination at the end of the 10+2 scheme of examination with Physics, Chemistry & Mathematics subjects or passed 10+3 Diploma Examination with Mathematics as compulsory subject.”
 - “(2) The candidate needs to qualify an aptitude test in architecture conducted either by NTA (i.e. JEE) or “NATA” conducted by the Council of Architecture.”

Footnote : The principal Regulations were published in the Gazette of India, Part III, Section 4, on 11th August, 2020 and amended on 23.03.2021.

RAJ KUMAR OBEROI, Registrar
[ADV.T.-III/4/Exty./153/2022-23]